

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—: आदेश :-

सं० सं०-17 / विविध- 01-180 / 2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० सुधा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, शिवहर को वित्त विभागीय परिपत्र सख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-01.03.2025 से 27.08.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम सतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


ज्ञापांक :-17 / विविध- 01-180 / 2025 - 197/17) पटना, दिनांक :-12 / 02 / 2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, शिवहर/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० सुधा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।